**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2246**

**दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**पैथोलॉजी प्रयोगशालाएँ**

**2246. श्रीमती मंजू शर्माः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में बड़ी संख्या में अवैध/अनधिकृत पैथोलॉजी प्रयोगशालाएँ अनियंत्रित तरीके से चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नियामक निकाय स्थापित करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अनधिकृत पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ङ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे अवैध/अनधिकृत पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के संचालन का संज्ञान लें। इस संबंध में डेटा और विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं सहित सरकारी और निजी नैदानिक स्थापन (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम के अनुसार, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों, कार्मिकों की न्यूनतम आवश्यकता, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के रखरखाव और अन्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यह अधिनियम जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकारी को इसके प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जुर्माना लगाने सहित कार्रवाई करने का अधिकार देता है। जिन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे मुख्य रूप से अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपनी पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

*****